छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
डब्ल्यूपीसी क्रमांक 951/2015

1. छत्तीसगढ़ विमानन अकादमी, विधिवत सुसंगत विधि के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक सोसायटी, द्वारा – अध्यक्ष कैप्टन सिद्धार्थ शुक्ला पिता श्री एस. के. शुक्ला, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी – एच.आई.जी.–बी 5, रायपुर नाका, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ।
2. कैप्टन सिद्धार्थ शुक्ला पिता श्री एस. के. शुक्ला, उम्र लगभग 48 वर्ष, अध्यक्ष– छत्तीसगढ़ विमानन अकादमी, निवासी – एच.आई.जी.– बी 5, रायपुर नाका, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, सिविल और राजस्व दुर्ग छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब नेशनल बैंक, बैंकिंग विधि के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक बैंकिंग कंपनी, द्वारा – शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

–––– उत्तरवादी

याचिकाकर्ताओं की ओर से	–	श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता
	–	श्री समीर उरांव, अधिवक्ता
उत्तरवादी की ओर से	–	श्री हर्षवर्धन, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी
ऑर्डर ऑन बोर्ड

06/02/2020

1. यह वर्तमान रिट याचिका में नोटिस दिनांक 16.03.2015 (अनुलग्नक पी/4) को चुनौती लेकर प्रस्तुत है । उक्त नोटिस धारा 13(2) **"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002" (संक्षेप में अधिनियम 2002)** के अंर्तगत है। उत्तरवादी बैंक द्वारा बाद में जारी किया गया नोटिस दिनांक 16.05.2015 (अनुलग्नक पी/6) को भी चुनौती दी गई है, जिसमें अनुलग्नक पी/6 में दिए गए सूची में वर्णित आस्तियों के कब्जे की सुपुर्दगी की मांग की गई हैं ।
2. उक्त दोनों नोटिसों को दो आधारों पर चुनौती दी गई है, प्रथम अनुलग्नक पी/1 में याचिकाकर्ताओं को अन्य संपत्तियों के अलावा दो विमानों का कब्जा सौंपने के लिए

कहा गया था । जहां तक दोनो विमानों के कब्जे की मांग का प्रश्न है, याचिकाकर्ताओं के वकील ने अधिनियम 2002 की धारा 31(सी) के तहत दिए गए स्पष्ट प्रतिबंध का हवाला दिया हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिनियम 2002 के प्रावधान **विमान अधिनियम, 1934** की धारा 2 के खंड 1 के तहत परिभाषित किसी भी विमान में किसी भी सुरक्षा के सृजन पर लागू नहीं होंगे । अनुलग्नक पी/4 और पी/6 को चुनौती देने का दूसरा आधार यह है कि अधिनियम 2002 की धारा 13(3ए) के तहत आवश्यक वैधानिक प्रावधान का पालन स्पष्ट रूप से नही किया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा धारा 3ए का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि नोटिस 16.03.2015 अनुलग्नक पी/4, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 01.05.2015 को एक विस्तृत जवाब/आपत्ति (अनुलग्नक पी/5) प्रस्तुत की थी । याचिकाकर्ताओं के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की उक्त आपत्ति/अस्वीकृति निर्धारित समय के भीतर पेश की गई थी जैसा कि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रदान किया गया है और इस प्रकार उत्तरवादी निर्धारित समय के भीतर उक्त प्रतिनिधित्व/आपत्ति पर निर्णय लेने के लिए बाध्य थे, जैसा कि अधिनियम 2002 की धारा 3ए और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3ए के तहत प्रदान किया गया है । याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व/आपत्ति पर उत्तरवादी–बैंक द्वारा कोई निर्णय लिए जाने की अनुपस्थिति में, पूर्ण कार्यवाही निष्फल हो जाएगी । याचिकाकर्ताओं के वकील ने **"अनिल कुमार अग्रवाल बनाम आई. सी. आई. सी. आई. बैंक और अन्य" [एआईआर 2011 छत्तीसगढ़ 1]** के मामले में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी–बैंक के अधिवक्ता ने याचिका का आक्षेप करते हुए कहा कि अब जबकि उत्तरवादी–बैंक ने धारा 13(4) के तहत नोटिस जारी कर दिया है, तो याचिकाकर्ताओं के लिए अब उपलब्ध एकमात्र उपाय संबंधित डीआरटी (ऋण वसूली न्यायाधिकरण) के समक्ष उचित कार्यवाही करके अधिनियम 2002 की धारा 17 के तहत दिए गए अनुतोष का विकल्प होगा ।

5. उत्तरवादी–बैंक के वकील ने **"आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम उमाकांत महापात्रा और अन्य"** [2019 13 एससीसी 497] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, साथ ही इस न्यायालय द्वारा **"श्वेत केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया"** [2011 लॉ सूट (छः) 102] के मामले में दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया । अतः वर्तमान रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई ।

6. उत्तरवादी–बैंक के वकील ने आगे कहा कि जहां तक की नोटिस दिनांक 16.03.2015 अनुलग्नक पी/4 को चुनौती का संबंध है, इसमें विमान का उल्लेख नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिनियम 2002 की प्रयोज्यता पर उठाई गई आपत्ति उत्पन्न नहीं होता । बैंक के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील के लिए याचिकाकर्ताओं के वकील ने दस्तावेज़ अनुलग्नक पी/6 दिनांक 16.05.2015 का हवाला दिया, जिसमें उत्तरवादी–बैंक ने सूची में उन संपत्तियों को दर्शाया है, जिनका कब्जा लिया जाना है, जिसमें दो विमान शामिल हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और अभिलेख के अवलोकन के पश्चात, तथ्यों को उचित रूप से समझने के लिए सबसे पहले धारा 31(सी) के प्रावधान को पुन: अवलोकन करना प्रासंगिक होगा, जहां तक कि कुछ मामलों में यह प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जिन्हें आसान संदर्भ के लिए निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया है:–

> **"31. इस अधिनियम के प्रावधान कुछ मामलों में लागू नहीं होंगे–** इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे –
>
> (क) xxxxxxxxxx
>
> (ख) xxxxxxxxxx
>
> (ग) वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 24) की धारा 2 के खंड (1) में परिभाषित किसी वायुयान में कोई प्रतिभूति बनाना ।

8. यदि हम अनुलग्नक पी/6 को देखें, जो उत्तरवादी–बैंक द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है और जो याचिकाकर्ताओं को सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा सौंपने के लिए कहता है । उक्त दस्तावेज में उल्लेखित सूची में याचिकाकर्ताओं की अन्य संपत्तियों के साथ–साथ दो वायुयान भी दर्शाए गए हैं, जिन पर उत्तरवादी का कब्जा लेने की मंशा थी । यदि हम धारा 31(सी) के उपर्युक्त प्रावधान पर विचार

करें, तो यह स्पष्ट रूप से दर्शित होगा कि अधिनियम 2002 के प्रावधान में एक विशिष्ट प्रतिबंध है जो किसी भी विमान में सुरक्षा के निर्माण के संबंध में लागू नहीं होता है, जैसा कि विमान अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत परिभाषित किया गया है । निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ताओं द्वारा खरीदे गए दो विमान, विमान अधिनियम, 1934 की धारा 2 खंड 1 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दो विमान खरीदे गये हैं जो विमान की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं । अतः यद्यपि अनुलग्नक पी/2 में विमान के कब्जे की मांग का दर्शायी न हो, किन्तु तथ्य यह है कि अनुलग्नक पी/6 में भी विमान को दर्शाया गया है, इसलिए न्यायालय का अभिमत हैं कि अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे, जहां तक विमानों का कब्जा लेने का संबंध है धारा 31(सी) के तहत विशिष्ट प्रतिबंध के अंतर्गत हैं ।

9. जहां तक धारा 3ए के प्रावधान का पालन न करने की आपत्ति का प्रश्न है, इस समय इस न्यायालय द्वारा **"अनिल कुमार अग्रवाल"** (सुप्रा) के मामले में पारित निर्णय का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता हैं कि उक्त निर्णय विशेष रूप से अधिनियम 2002 की धारा 13(3ए) के प्रावधानों के अंतर्गत था । ततसदर्भ के लिए उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 14 से 20 निम्नलिखित दर्शायें गए हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"14. मार्डिया केमिकल लिमिटेड (सुप्रा) में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (3ए) को 2004 के अधिनियम 30 द्वारा 11.11.2004 से सम्मिलित किया गया । धारा 13 (3ए) के प्रावधानों पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष [एआईआर 2007 एससी 712] (सुप्रा) में विचार किया गया ।**
>
> **15. उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (3ए) के प्रावधानों पर विचार किया तथा माना कि धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस केवल कारण बताओ नोटिस नहीं है, बल्कि मांग का नोटिस है । अधिनियम, 2002 की धारा 13(3ए) ऋणग्रहिता को सुरक्षित ऋणदाता के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करती है । अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा एन.पी.ए. अधिनियम की धारा 13 (4) के आह्वान के लिए एक पूर्व शर्त है ।**
>
> **16. हालांकि, वर्तमान मामले में अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत जारी दिनांक 21.3.2009 के नोटिस के अनुसरण में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक**

5.5.2009 को जवाब प्रस्तुत किया गया था, जिसकी प्राप्ति बैंक द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी । अतः याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था । निर्विवादित है कि अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस का जवाब याचिकाकर्ता द्वारा 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया था, जो उत्तरवादी बैंक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था ।

17. इस प्रकार, अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (3ए) के प्रावधान एक आज्ञापक वैधानिक प्रावधान है, जिसका अधिनियम, 2002 की धारा 14 के प्रावधानों का सहारा लेने से पहले पालन नहीं किया गया था । यह निर्विवादित है कि अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के प्रावधानों के तहत आज दिनांक तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है ।

18. अधिनियम, 2002 की धारा 13 (3ए) एक विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का प्रावधान करती है, जिसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । यह एक सामान्य कानून है कि यदि किसी कानून में किसी प्रक्रिया को किसी विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना आवश्यक हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इस संबंध में मैं उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा "कृष्ण चंद्र साहू बनाम बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य (एआईआर 2009 ओड़ि 35)" में लिए गए अभिमत से सम्मानपूर्वक सहमत हूं ।

20. इसलिऐ उपरोक्तानुसार, दिनांक 21.3.2009 का नोटिस तथा उत्तरवादी क्रमांक 2 अर्थात जिला मजिस्ट्रेट, रायपुर द्वारा शुरू की गई कार्यवाही खारीज की जाती है ।

10. जहां तक उत्तरवादी के वकील द्वारा दिए गए निर्णयों का सवाल है, वे निर्णय निस्संदेह कानून के सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं, किन्तु विधि की यह भी सुस्थापित स्थिति है कि जब अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों के अपालन की स्थिति स्वीकार की जाती है, तो यह उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा ।

11. उत्तरवादी–बैंक के विद्वान अधिवक्ता से पूछे जाने पर, उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि निःसंदेह बैंक उस अभ्यावेदन/आपत्ति पर निर्णय नहीं ले पाया है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने धारा 13(2) के तहत नोटिस के जवाब में अधिनियम

2002 की धारा 13(3ए) तथा नियम 2002 के नियम 3ए(सी) के तहत निर्धारित समय के भीतर दाखिल किया था ।

12. इस निर्विवाद तथ्य को देखते हुए कि धारा 13(3ए) तथा नियम 2002 के नियम 3ए(सी) के अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से अनुपालन नहीं किया गया है, उत्तरवादी–बैंक द्वारा 16.03.2015 के बाद शुरू की गई संपूर्ण कार्यवाही अमान्य हो गई है, जिससे उत्तरवादी–बैंक के लिए कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही करना संभव हो गया है ।

13. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका स्वीकृत की जाती है तथा प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

सही/–
(पी. सैम कोशी)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**